शैक्षिक साधन व प्रयास (SC/ST)

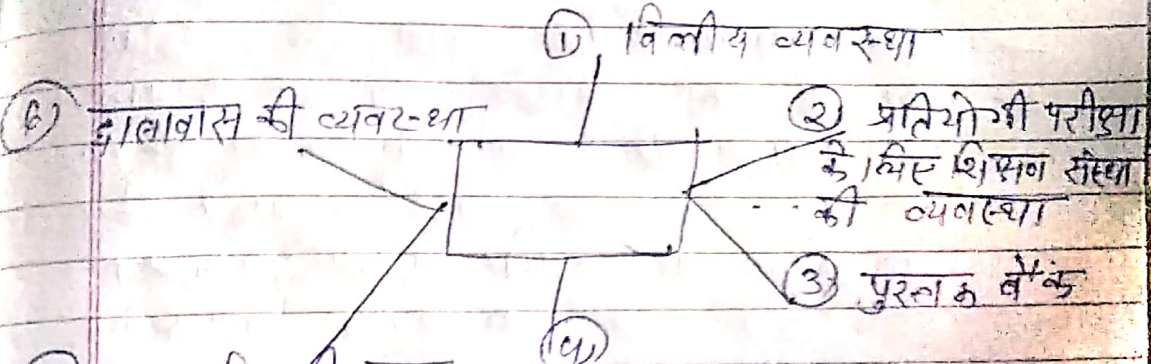

हाशियाकरण / सीमान्तीकरण (marginalization)

हमारे समाज में कुछ जातियों को उच्च स्थान तथा कुछ जातियों को निम्न स्थान दिया गया है। निम्न जातियों हेतु कुछ नियमों को लगाकर उनका सीमान्तीकरण कर दिया जाता है जिसे हम हाशियाकरण कहते हैं। समाज के ये वर्ग विभिन्न सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय संविधान में इनके विकास एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

सीमान्तीकरण से तात्पर्य प्रायः समाज विशेष का का उनकी जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कुछ प्रतिबन्ध स्थापित कर दिए जाते हैं जिसके द्वारा समाज में कुछ नियमों द्वारा स्वतन्त्र एवं पृथक अस्तित्व पाया जाता है।

सीमान्तीकरण के प्रमुख स्तर

(i) व्यक्ति या जाति के स्तर पर
(a) अनुसूचित जाति या जनजाति
(b) पिछड़ा वर्ग

— क्षेत्र स्तर पर
— भाषा स्तर पर
— लैंगिक स्तर पर
— वर्ग के आधार पर

असमानता या हाशियाकरण के कारण —

असमानता या सीमान्तीकरण के प्रमुख कारण इन वर्गों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों की कमी। विश्व के किसी भी देश या समाज में पिछड़ने के कारणों में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं।

1- सामाजिक कारण = प्राचीन भारत में वर्ण विभाजन के कारण समाज कई जाति तथा उपजातियों में विभक्त था। समाज के ऊपर के तीन वर्ग/वर्ण सभी अधिकार से युक्त तथा उच्च थे जबकि निम्न वर्ग अधिकार हीन तथा शोषित था। सामाजिक भेदभाव एवं असमानता के कारण ~~समाज~~ के निम्न वर्ग को किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे।

2- आर्थिक कारण —

चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र सभी के संचालन हेतु अर्थ (धन) की आवश्यकता होती है। समाज में SC/ST/ तथा महिलाओं के समक्ष अर्थ की समस्या होती है क्योंकि ये पाबंदियों के कारण

कार्य को स्वतन्त्र रूप से नही कर पाते है।
स्वतन्त्रता के पश्चात् यद्यपि इन्हे समान अधिकार प्रदान किए गये किन्तु गरीबी के कारण इन्हे उचित पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नही मिल पाती है।

(3) राजनैतिक कारण — समाज के कमजोर तथा निम्न वर्ग को प्रारम्भ से ही किसी भी प्रकार के अधिकार नही प्रदान किए गये। जिससे ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गये। ब्रिटिश काल मे 1857 ई० के विप्लव के बाद ब्रिटिश सरकार ने (फूट डालो राज करो) की नीति का अनुसरण करके कुछ सामान्य अधिकार प्रदान किए।

सीमान्त वर्गो की प्रगति मे शिक्षा की भूमिका :—

शिक्षा के द्वारा ही सीमान्त वर्गो (अनुसूचित जाति / जन जाति / अल्पसंख्यक एवं महिलाओं) की शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति मे सुधार किया जा सकता है जो इस प्रकार है —

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा —
2. अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा —
3. स्त्री शिक्षा —
4. पिछड़े वर्गो के बच्चों की शिक्षा —